न्यायालयः– विपिन सिंह भदौरिया, सदस्य मोटर दु0 दावा अधि0 नौगांव

EX.MJC/53/2022

श्रीमती कौशा कुशवाहा वि0 बृजेंद्र सिह वगै0

(आदेश दिनांक 28/11/2022 की प्रतिलिपि)

28/11/2022 आवेदिकागण सहित अधिवक्ता श्री प्रदीप गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदकगण अनिर्वाहित तलवी की आवश्यकता नही।

संकलित कलेक्शन रिपोर्ट प्राप्त। तलबी की आवश्यकता नही है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित है कि क्लेम प्रकरण क्रमांक–33/21 में पारित लोकअदालत अवार्ड दिनांक–13/08/2022 अनुसार कुल क्षतिपूर्ति राशि रूपए–9,60,000/–(नौ लाख साठ हजार रूपए) जमा होने पर आवेदिका क्र0 1 श्रीमती कौशा कुशवाहा को रूपए 5,10,000/– जिसमें से रूपए 2,50,000/–बचत खाता के माध्यम से प्रदान करने एवं रूपए 2,60,000/–तीन वर्ष के लिए सावधि खाता में जमा किए जाने एवं आवेदक क्र 2, 3, क्रमशः धमेंद्र एवं नेहा के हित की राशि रूपए 1,50,000/–1,50,000/– में आवेदक क्र 2 धमेंद्र को रूपए 75,000/–बचत खाता के माध्यम से प्रदान करने एवं रूपए 75,000/–तीन–तीन वर्ष के लिए सावधि खाता में जमा किए जाने एवं आवेदक क्र 3 नेहा कुशवाहा को रूपए 1,00,000/–बचत खाता के माध्यम से प्रदान करने एवं रूपए 50,000/–तीन वर्ष के लिए सावधि खाता में जमा किए जाने एवं आवेदिका क्र04 पूजा कुशवाहा के हित की राशि क्रमश : रूपए 1,50,000/– उसके नाबालिग होने से बालिग होने तक के लिए सावधि खाता में जमा किए जाने का आदेश पारित किया गया है। कलेक्शन रिपोर्ट अनुसार राशि एमएसीटी खाता में जमा हो चुकी है।

अतः लोक अदालत अवार्ड आदेशानुसार चैक क्रमांक–33303819..रूपए–9,60,000/–(नौ लाख साठ हजार रूपए) की चैक बनायी जाकर मय आदेश आवेदिकागण को प्रदान की गयी। पावती ली गयी। आवेदिकागण की पहचान श्री प्रदीप गुप्ता अधिवक्ता ने की।

यह इजराय प्रकरण पूर्ण संतुष्टि में अन्य कार्यवाही शेष न होने से समाप्त किया जाता है।

पत्रावली नियत अवधि में अभिलेखागार संचित की जावे।

सही/–
(विपिन सिह भदौरिया)
सदस्य
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
नौगांव जिला छतरपुर म.प्र.

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/व्यावसायिक उपयोग हेतु अमान्य)